अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

24 अकबर रोड नई दिल्ली–110011

मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु   बुधवार, 14 दिसम्बर 2011 सायं–4.15

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने तमाम वायदे जो देश से किए थे, एक–एक करके लगातार उन्हें पूरा कर रही है। तीन बिल जैसे कि न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक, सार्वजनिक प्रगटीकरण और प्रगटीकरण बिल बनाने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा जो कि ''विसलब्लोअर'' विधेयक एवं सिटीजन चार्टर विधेयक को मंत्रिमण्डल ने आज अपनी स्वीकृति दे दी है। लोकपाल के लिए यूपीए की मीटिंग हुई और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई है। लोकपाल बिल के विषय में आज सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है। सभी राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति बना पाएंगे। और हमें आशा है कि हम लोकपाल बिल पर आम सहमति बनाने में सफल होंगे। जैसा कि सरकार एवं प्रधानमंत्री का वायदा था लोकपाल बिल को इस शरद–कालीन सत्र में पेश किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाए।

काले धन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार की लगातार कोशिश रही है जो काला धन विदेशों में है वापिस आए और जो देश के अन्दर है सरकार उसको प्रगट करवाने की कोशिश करती रही है, लोकसभा में भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव लाने की बात की थी, उस पर बहस हुई। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की 81 देशों के साथ इस विषय में द्विपक्षीय समझौते हुए हैं ताकि वहां से काला–धन वापिस लाया

जा सके। उन व्यक्तियों की जानकारी भी लेने की कोशिश की जा रही है जिनका काला–धन विदेशी बैंकों में पड़ा है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो यह है कि मॉरिशस इस मामले में अच्छे कदम उठा रहा है। मॉरिशस की सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ और संयुक्त कार्यवाहक ग्रुप बना है, उसकी कई मीटिंग हो चुकी हैं। और सरकार की पूरी कोशिश है कि मॉरिशस सरकार से पता चले कि वहां किन–किन लोगों का धन जमा है। लेकिन आयकर विभाग को यह अधिकार है कि तमाम ऐसी कंपनियां एवं व्यक्ति जो अपने आपको मॉरिशस का निवासी कहते हैं, सही अर्थ में है या नहीं। अगर वो निवासी नहीं है तो उनके विरूद्ध आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनडीए की सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या–789 दिनॉक अप्रैल 2000 में जारी किया जिसके अनुसार आयकर विभाग से यह अधिकार वापिस ले लिया गया कि वे मॉरिशस में या किसी भी ऐसे देश के अन्दर इस बात की जांच नहीं कर सकते थे कि वे वहां के निवासी हैं या नहीं। वही लोग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ–यात्रा निकाल रहे हैं और वही लोग काले–धन की सबसे बड़ी आवाज बने हैं, वही लोग लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं लेकिन हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से संजीदा है चाहे वो जी–20 का मामला हो। 2009 से पहले विदेशी सरकारें द्विपक्षीय समझौते करने से कतराती थीं लेकिन जी–20 के अन्दर प्रधानमंत्री जी की कोशिश से और भारत सरकार की कोशिश से यह दबाव पड़ा और उसका यह नतीजा है कि उन तमाम देशों के साथ हमारे समझौते हुए हैं और हम आशा करते हैं कि इसमें हमें भविष्य में भी कामयाबी मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि अधिकतर बिलों पर आम–सहमति बनाने की सरकार की कोशिश रही है। लोकपाल बिल पर आम–सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। खाद्य–सुरक्षा विधेयक एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है। इसके बाद 75 प्रतिशत गांवों के लोग एवं 98 प्रतिशत शहरी लोगों की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह कोई छोटा बिल नहीं है। यह बिल इस देश के अन्दर इन्कलाब ले आएगा। सरकार का एक बड़ा कदम

है। सरकार चाहती है इस पर सबकी आम सहमति हो। यूपीए के घटकों एवं सभी से बातचीत करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसे स्थगित किया गया है। सभी घटक हमारे साथ हैं। प्रजातंत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है। हमारे घटकों के साथ हमें कोई समस्या नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि खाद्य एवं कृषि मंत्री ने ही उसको ''वीटो'' कर दिया है, श्री राशिद अलवी ने कहा कि उन्होंने अपनी राय दी है। सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि खाद्य–सुरक्षा बिल आना चाहिए और पास होना चाहिए। सरकार की राय वाजिब है। इस पर सरकार सभी पार्टियों से बात करे और आम–सहमति बनाए। कांग्रेस पार्टी की राय है कि खाद्य–सुरक्षा बिल देश के गरीबों के एवं आम–आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है।

(टॉम वडक्कन)
मीडिया सचिव